2018/00063

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री जयन्ति लाल पुत्र केसरीमल जी जाति जैन निवासी रोहिडा जिला सिरोही (हाल मुम्बई)		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा- **अपील अन्तर्गत धारा** 19 **आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 43 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.09.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 25.7.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा कोदरला के खसरा नं. 255 रकबा 13 बीघा 18 विस्वा की तरमीम से संबंधित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 25.7.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा कोदरला के खसरा नं. 255 रकबा 13 बीघा 18 विस्वा की तरमीम से संबंधित सूचना सूचना दिलाई जावें । अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी । सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner

2018/00064

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री राजकुमार गुप्ता निवासी 31/61/12 वरूण पथ जयपुर ।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा- **अपील अन्तर्गत धारा** 19 मुकदमा नं. 44 वर्ष 2018
आर.टी.आई. एक्ट 2005

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.9.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 14.5.2018, को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मार्च 2015 से अप्रैल 2018 तक कितनी निविदा सूचना एवं विज्ञापन जारी किये गये के संबंध में सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 14.5.2018, को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मार्च 2015 से अप्रैल 2018 तक जारी किये गये कितनी निविदा सूचना एवं विज्ञापन जारी के संबंध में सूचना दिलाई जावें । अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी । अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिण्डवाडा के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही है । अत: अपीलांट की अपील खारिज की जाती है । अपीलांट चाहे तो सक्षम अधिकारी को अपील करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner